न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 116/21 सन् 2021

आरसीएमएस संख्या 2021/308

बउनवानी :– 1. सोभागमल जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन नि. बजरिया, सवाईमाधोपुर
2. महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जैन नि0 राजनगर कॉलोनी,स0मा0
3. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जैन, नि0 बजरिया सवाईमाधोपुर
4. ओम प्रकाश पुत्र पूरणमल जैन नि0 खेरदा सवाईमाधोपुर
5. आशिष कुमार पुत्र महावीर प्रसाद महाजन नि. राजनगर कॉलोनी,स0मा0
6. पदमचन्द पुत्र चौथ मल जैन, नि0 मीणा कॉलोनी सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये उपजिला मजिस्ट्र सवाईमाधोपुर
2. थाना प्रभारी, थाना मानटाउन, सवाईमाधोपुर
3. मनोज कुमार पुत्र श्री गणपत लाल जैन नि. जवाहर नगर कॉलोनी,स0मा0
4. मुकेश पुत्र महावीर प्रसाद जैन, नि0 जैन प्लाईवुड टोक रोड़, स0मा0
5. मोहनलाल पुत्र रामदयाल जैन, नि0 लडढा पेट्रोल पम्प के सामने बजरिया,स0मा0
6. अंकित पुत्र दानमल जैन, नि0 धर्मचन्द दानमल कपडे की दुकान, बजरिया,स0मा0
7. पदम पुत्र राधेश्याम जैन, निवासी बजरिया, सवाईमाधोपुर

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्व उपजिला मजिस्टेट्र सवाईमाधोपुर मे जैरकार प्रकरण सख्या 01/2021 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम मनोज कुमार वगै धारा 145,सीआरपीसी, अन्तर्गत धारा तहत धारा 411 सीआरपीसी)

उपस्थितः 1. श्री भोलाशंकर शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री पारसमल जैन — वकील अप्रार्थी,3–7

–: निर्णय :– दिनांक **06.01.2022**

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय उपजिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर में विचाराधीन प्रकरण सख्या 01/2021 उनवानी सरकार बनाम मनोज कुमार वगै. अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 145सीआरपीसी के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि थानाधिकारी मानटाउन ने एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 सीआरपीसी के तहत उपजिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे दिनांक 14.01.2018 को मनोज कुमार एवं सोभागमल वगै.के विरूद्व इस आशय का पेश किया कि दोनो पक्षो द्वारा सामयिक स्वाध्याय भवन,45 इन्द्रा कॉलोनी टोंक रोड़ बजरिया सवाईमाधोपुर पर कब्जा करने व अपना–अपना ताला लगाने तथा दोनो पक्षों मे खून खराबा होने की पूर्ण सम्भावना होने के कारण विवादग्रस्त भवन को अतिशीघ्र कब्जे राज लिया जावे। उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 2.2.2018 को आदेश पारित कर उक्त भवन को रिसीवरी मे लिया जाकर थानाधिकारी मानटाउन को रिसीवर नियुक्त कर उक्त भवन को तुरन्त कुर्क करके कब्जा राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जाने पर माननीय एडीजे एससी/एसटी द्वारा दिनांक 8.9.2021 को आदेश पारित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवायी का अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत आदेश पारित [illegible] के साथ माननीय उप जिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के यहॉ पुनः सुनवायी हेतु मामला प्रतिप्रेषि[illegible]। उक्त आदेश के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में [illegible] की सूचना माननीय उपजिला मजिस्ट्रेट महोदय को पूर्व पेशी पर दे दी [illegible] उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 4.10.2021 को आगामी पेशी दिनांक 2.12.2021 दी गयी उक्त दिनांक को उपजिला मजिस्ट्रेट राज[illegible] व्यस्त होने के कारण न्यायालय की कार्यवाही नही हुई तथा नोटिस बोर्ड [illegible] तारीख पेशी दी गयी। [illegible] 2.10.2021 को उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय मे प्रार्थीगण के एडवोकेट अन्य प्रकरण में तारीख पेशी लेने गये तो पता लगा कि इस पत्रावली में बिना किसी सूचना के तारीख पेशी 20.10.2021 लगा दी। तथा 20.10.2021 को सांय 4.44

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:07:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

बजे तक न्यायिक कार्यवाही शुरू नही होने के बावजूद केवल इसी पत्रावली को रोका जाना तथा प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी देना निष्पक्ष न्याय की उम्मीद को समाप्त करता है। इसलिए माननीय उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय से प्रार्थीगण को न्याय मिलने की उम्मीद नही होने के कारण उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिनांक 4.10.2021 को आगामी पेशी 2.12.2021 नोट नही करवायी नोटिस बोर्ड पर केवल राजस्व मुकदमात की सूचना अंकित की गयी थी तथा उच्च न्यायालय में कार्यवाही कर देने मात्र से अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही बिना स्थगन आदेश प्राप्त किये नही रोकी जा सकती है। उक्त प्रकरण में दिनांक 20.10.2021 की तारीख पेशी दोनो पक्षों के समक्ष ही नियत की गयी थी जिस कारण ही प्रार्थीगण के अधिवक्ता उक्त प्रकरण मे तारीख पेशी लेने गये थे। उक्त प्रकरण अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने के उपरान्त भी प्रार्थीगण के अधिवक्ता को बार–बार बुलाये जाने पर भी बहस हेतु नही आने के कारण बार–बार तारीख बढानी पडती है तथा ऐसे आधार को न्याय मिलने की उम्मीद का कारण नही माना जा सकता है। प्रकरण मे न्यायालय का कोई भी आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है इसलिए पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप निराधार है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधिवत सुनवायी की जा रही है तथा प्रार्थीगण प्रकरण मे अनावश्यक देरी करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसको खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा उपजिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर से प्राप्त टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। क्योकि सामयिक स्वाध्याय भवन को लेकर दोनो पक्षो में विवाद चल रहा है प्रकरण की गम्भीरता को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण मे बहस उभय पक्ष सुनी जाकर दिनांक 2.2.2018 को निर्णय पारित किया जा चुका है जिसके विरूद्व माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश सवाईमाधोपुर के यहॉ की गयी जिसमें संबंधित मूल पत्रावली को दिनांक 26.3.2018 को तलब की जाकर प्रकरण विधिवत सुनवायी कर दिनांक 8.9.2021 को निर्णय पारित कर प्रकरण मे पुनः सुनवायी कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया था जिसकी पालना में पक्षकार दिनांक 21.9.2021 को न्यायालय मे उपस्थित हुए तथा प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 4.10.21 नियत की गयी। प्रकरण मे 15 दिवस से कम की तारीख पेशी दी जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण मे अनावश्यक देरी करने की गरज से निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया है ।

विद्वान वकील उभयपक्षों एवं पैरोकार राजस्व की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। क्योकि उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है जिसमे कानून व्यवस्था भंग होने का पूर्ण अन्देशा होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जल्द सुनवायी की कार्यवाही को विधिविरूद्व नही माना जा सकता है। चूंकि वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण की सुनवायी विधिवत तरीके से की जा रही है इसलिए उक्त प्रकरणों को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की आवश्यकता नही समझता हूॅ।

Signature Not Verified

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से [illegible]तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। एवं उपजिल मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर को निर्देशित [illegible] सुनवायी कर गुणावगुण पर सिविल न्यायालय से प्राप्त निर्देशो के अनुसार [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:07:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर